जुमा के दिन की फ़ज़ीलत

मुहम्मद अज़हर मदनी

हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी होती है जिस में अगर कोई मुस्लिम बन्दा खड़ा होकर नमाज़ पढ़ रहा हो, या ज़िक्र करते हुए कोई चीज़ अल्लाह से मांगे तो अल्लाह तआला उसे ज़रूर देता है। हाथ के इशारे से आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः वह घड़ी (क्षण) बहुत थोड़ी सी है (सहीह बुख़ारी)

जुमा की फज़ीलत में अनेकों हदीसें हैं। एक रिवायत में है हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जुमा की नमाज़ में तीन प्रकार के लोग आते हैं एक वह शख्स जो लग्व (फालतू काम) करता है, इस का यही हिस्सा है यानी इसको कोई सवाब नहीं मिलता, दूसरा दुआ के लिये आता है, यह दुआ करता है तो अल्लाह तआला चाहे तो उसको दे और चाहे तो वंचित रखे, तीसरा वह शख्स है जो खामूशी से खुतबा सुनता है और खामूश रहता है, न किसी मुसलमान की गर्दन लांघता है और न किसी मुसलमान को दुख देता है। ऐसे शख्स के लिये यह जुमा आने वाले जुमा तक के लिये और अधिकृत तीन दिनों के लिये पापों की प्रायिश्चित है और यह इस लिये कि अल्लाह तआला का फरमान है ''जो एक नेकी लाता है, उसको दस गुना सवाब है।'' (सुनन अबू दाऊद)

जाबिर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं कि एक शख्स आया, नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने पूछा ऐ अमुक व्यक्ति! क्या तुमने (तहैयतुल मस्जिद की) नमाज़ पढ़ ली उसने कहा कि नहीं। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः उठो और दो रकात नमाज़ पढ़ लो। (सहीह बुख़ारी)

जुमा की और जुमा के दिन की कई एतबार से फज़ीलत बयान की गई है लेकिन यह बड़े अफसोस की बात है कि हम लोग जुमा के दिन की फज़ीलत हासिल करने में बड़े कोताह हो गये हैं, जुमा के दिन को आम दिन की तरह गुज़ार देते हैं, देखा जा रहा है कि घर की औरतें भी जुमा के दिन अपने आप को घर के कामों में इतना व्यस्त कर लेती हैं जिसकी वजह से वह जुमा की फज़ीलत और इस दिन के ज़िक्र व अज़कार आर दुआओं की फज़ीलत से वंचित एवं महरूम हो जाती हैं। ज़रूरत है कि घर के सभी लोग चाहे मर्द हों या औरत घर के ज़रूरी कामों को दूसरे दिनों में पूरे करने की कोशिश करें और जुमा के दिन दुआ, तिलावत, नमाज का विशेष एहतमाम करें ताकि हमें वह फजीलत हासिल हो जाए जो कुरआन व हदीस में बयान की गई है।

मासिक

इसलाहे समाज

नवंबर 2023 वर्ष 34 अंक 11

जुमादल ऊला 1445 हिजरी

संरक्षक

असग़र अ़ली 'सलफ़ी'

संपादक

मुहम्मद ताहिर

❑	वार्षिक राशि	100 रुपये
❑	प्रति कापी	10 रुपये

सम्पर्क

मासिक इसलाहे समाज (हिन्दी)

4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद

दिल्ली-110006

फोन : 23273407 फ़ैक्स: 23246613

RNI No. 53452/90

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद इरफान शाकिर ने मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की ओर से एम.एस. प्रिन्टर्स, A-145 गली न० 8 चौहान बांगर, सीलमपुर, दिल्ली-53 से छपवा कर अहले हदीस मंज़िल 4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद दिल्ली-6 से प्रकाशित किया।

सम्पादक: मुहम्मद ताहिर

लेखक के विचारों से संस्था का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

इस अंक में

1.	जुमा के दिन की फज़ीलत	2
2.	इबादत करने में कोताही न करें	4
3.	अल्लाह सब कुछ जानता है	5
4.	इस्लाम की खूबियां एवं अच्छाईयां	07
5.	मानव अधिकार इस्लाम की शिक्षाओं की रोशनी में	12
6.	पैग़म्बर मुहम्मद स०अ०व० के उपदेश	14
7.	पति-पत्नी के अधिकार	17
8.	सुलैमान अलैहिस्सलाम	20
9.	आल इंडिया रेफ्रेशर कोर्स सफलता पूर्वक संपन्न	23
10.	प्रेस रिलीज	25
10.	अपील	27
11.	कैलेन्डर **2024**	28

ईमेल:-

Jaridahtarjuman@gmail.com

Jamiatahlehadeeshind@hotmail.com

अब 'इसलाहे समाज' इन्टरनेट पर भी उपलब्ध है

वेब साइट:- **www.ahlehadees.org**

सम्पादकीय

इबादत करने में कोताही न करें

मुसलमानों की आस्था का आधार ऐकेश्वरवाद (तौहीद) पर है, और यह ईमान की सबसे बड़ी ताक़त है शर्त यह है कि हम अपने आमाल को शरीअत के आदेशों के अनुसार करें क्योंकि यही हमारे लिये मुक्ति व सफलता का सबसे बड़ा साधन है, शरीअत के मुताबिक चलना ही अल्लाह की आवाज़ है और जब अल्लाह के आदेशों का पालन इन्सान के व्यवहारिक जीवन की आवाज़ बन जाए तो फिर ऐसा इन्सान इंसान ही के हित और उसके अधिकार की बात करता है, इन्सान, की कामयाबी की बात करता है और इस्लाम अपने अनुयाइयों से यही मांग करता है कि उसका हर अम्ल और इबादत उसके बताए गये आदेशों के अनुसार हो जाए। धर्म से दूर होने से जीवन की उमंग खतम हो जाती है और जब उमंग ख़तम हो जाती है तो इन्सान की जिंदगी एक अजीब व गरीब असमंजस में लिप्त हो जाती है।

हालात कुछ भी हों, दिन रात में उलट फेर होता रहता है, गम व दुख के बाद एक नया काल शुरू होता है जिस का उल्लेख कुरआन में भी है। पवित्र कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता हैः

''पस यक़ीनन मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है'' (सूरे इंशिराह-५-६)

स्थिति बदलते रहते हैं, उतार-चढ़ाव जीवन का भाग है, इस दुनिया में जो भी आया है उसको एक न एक दिन इस दुनिया से जाना है इस लिये इन्सान को अपने आमाल की चिंता करनी चाहिये जिन के बारे में क्यामत के दिन कड़े सवाल व जवाब होंगे। वहाँ न सोचने का मौक़ा दिया जाएगा और न दोबारा अमल का मौक़ा दिया जाएगा, इसलिये दुनिया में अपने विचार और कर्म को बेहतर बनाने की चिन्ता करें तिलावत, सुबह व शाम की दुआएं और अन्य इबादत करने में कोई कोताही न करें, हालात से मायूस न हों, हौसले को टूटने न दें, अल्लाह ने जो नियत (मुकददर) कर दिया है वह होकर रहेगा इस लिये कि अल्लाह जो चाहता है करता है, बुरे कर्म की सजा देता है और अच्छे कर्म पर पुण्य देता है, जब बुरा इन्सान किसी कठिनाई में पड़ता है तो कहा जाता है कि वह अपने बुरे कर्मों की सज़ा भुगत रहा है और जब नेक होकर किसी अग्नि परीक्षा में पड़ जाता है तो कहा जाता है कि अल्लाह की तरफ से उसकी आज़माइश हो रही है। हमें अच्छा कर्म और कोशिश करने का हुक्म दिया गया है। पवित्र कुरआन ने नमाज़ और सब्र के द्वारा अल्लाह से मदद मांगने की शिक्षा दी है, सब्र और हिक्मत यह है कि हर मामले में प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। सोशल मीडिया पर गलत टिप्पणी से परहेज़ करें, कोई ऐसी बात न लिखें जिस से छवि खराब हो, कुछ मुददे ऐसे होते हैं जो बहुत नाजुक होते हैं उन पर हर किसी का अपनी राय रखना और पेश करना उचित नहीं है।

अल्लाह सब कुछ जानता है

मौलाना अस्अ़द आज़मी

हर समाज और हर देश के अपने-अपन कानून होते हैं जिनकी पाबन्दी हर व्यक्ति पर ज़रूरी है, इनही कानून और पाबंदियां की वजह से इन्सान बहुत सारे काम न चाहते हुए भी करता है या चाह कर भी नहीं कर पाता अर्थात किसी काम का करना क़ानूनी एतबार से ज़रूरी है चाहे आदमी का इसमें बजाहिर कोई फायदा नहीं तो भी कानून की पकड़ से बचने के लिये आदमी वह काम करता है या कोई काम कानूनी तौर पर मना है और आदमी यह समझता है कि इस में हमारा फ़ायदा है तो भी कानून इसे इस काम से रोकता है लकिन यह हक़ीक़त है कि इन दुनियावी और इन्सानी कानून का बहुत से लोग उल्लंघन करते हैं, ख़ास तौर पर उस वक़्त जब उनको यह एहसास हो कि हमारी इस खिलाफ वर्ज़ी (उलघंन) को हुकूमत का आदमी या ज़िम्मेदार नहीं देख रहा है उदाहरण के तौर पर बिना टिकट सफर करना, रिश्वत देना या लेना, जिन वग़ैरह वग़ैरह

एक मुसलमान जो सही मानों में अल्लाह पर ईमान रखता है उसका मामला इससे अलग होता है वह अच्छे कामों को अंजाम देते वक़्त और बुरे कामों से परहेज़ करते वक़्त इन्सानी गार्डों और सरकारी कर्मियों की नज़र का ध्यान नहीं रखता कि अगर उनकी पकड़ में आने का खतरा हो तो न करे और खतरा न हो तो करे बल्कि वह उस अल्लाह की नज़र और व्यापक ज्ञान को मददे नज़र रखता है जो हर चीज़ का ज्ञान रखने वाला और हर छोटे-बड़े अमल से बाख़बर है। दिन का उजाला और रात का अंधेरा सब उसके लिये बराबर है। इन्सान एकान्त में और तमाम लोगों की नज़रों से बच कर कोई काम करे या भरी सभा में हर एक काम अल्लाह की नज़र में होता है और साथ ही अल्लाह तआला इसका रिकार्ड तैयार करवा रहा है।

पवित्र कुरआन में जगह जगह बन्दों को यह विश्वास दिलाया गया है कि अल्लाह तआला तुम्हारे हर कर्म को देख रहा है। फरमायाः

''हमन इन्सान को पैदा किया और उसके दिल में जो ख्यालात उठते हैं उनसे हम भी अवगत हैं और हम उसकी जान की रग से भी ज़्यादा क़रीब हैं'' (सूरे काफ़-१६)

इस आयत से मालूम होता है कि बन्दा जो काम करता है अच्छा या बुरा सिर्फ उसी से अल्लाह अवगत नहीं है बल्कि जो कुछ अपने मन में सोचता है उसको भी जानता है, इसी तरह की एक बात दूसरी आयत में भी कही गई है।

''वह आखों की खियानत को और सीनों की गुप्त बातों को जानता है'' (सूरे गाफिर-१९)

आंखों की खियानत यह है कि फटी निगाहों से देखा जाए राह चलते किसी अमानवी औरत को

कंखियों से देखना, सीने की बातां में वह वसवसे भी आ जाते हैं जो इन्सान के दिल में पैदा होता हैं। (अहसनुल बयान)

अल्लाह के व्यापक ज्ञान के बारे में जानने के लिये इन आयतों पर भी गौर करना गौर करना चाहिए।

''यक़ीनन अल्लाह तआला पर जमीन व आसमान की कोई चीज़ गुप्त नहीं है'' (सूरे आले इमरानः५)

फरमायाः

''और अल्लाह तआला के पास ही ग़ैब की कुंजियाँ (ख़ज़ाने) हैं जिनको अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता और वह तमाम चीज़ों को जानता है जो खुश्की में हैं और जो दरयाओं में हैं और कोई पत्ता नहीं गिरता मगर वह उसको भी जानता है और कोई दाना ज़मीन के अंधेर हिस्स में नहीं पड़ता और न कोई तर और कोई खुश्क चीज़ गिरती है मगर यह सब किताबे मुबीन में है। (और अल्लाह तआला इनसे बाखबर है) (सूरे आले इमरानः३९)

अल्लाह तआला ने फरमायाः

''क्या आप को नहीं मालूम कि अल्लाह तआला आस्मानों और ज़मीन की हर चीज़ से वाकिफ़ है, तीन आदमियों की सरगोशी नहीं होती मगर अल्लाह उनका चौथा हाता है और न पांच की मगर उनका छठा (अल्लाह तआला) होता है और न इससे कम और न ज़्यादा की मगर वह उनके साथ होता है जहां भी वह हों, फिर क़्यामत के दिन उन्हें उनके आमाल से अवगत भरेगा। बेशक अल्लाह हर चीज़ को जानने वाला है'' (सूरे मुजादला-७)

जब अल्लाह तआला के ज्ञान एवं जानकारी की यह हालत और दशा है कि इस धरती की हर छोटी बड़ी, ढ़की छिपी बात और चीज़ से वह बाखबर रहता है तो यह चीज़ एक मुसलमान को सावधान और ज़िम्मेदाराना ज़िन्दगी गुज़ारने का एहसास दिलाती है और यह कि कोई शख्स दुनियावी कानून और दुनिया वालों की नज़रों से भले बच जाये मगर अल्लाह की नज़र और उसकी पकड़ से कैसे बचेगा वह तो जानता है कि

''जिस ने कण भर नेकी की होगी वह उसे देख लेगा और जिसने कण भर बुराई की होगी वह भी उसे देख लेगा'' (सूरे ज़िलज़ाल-७-८)

कहने का मतलब यह है कि बन्दे को मामूली से मामूली अच्छाई और मामूली से मामूली बुराई की सज़ा बन्दे को भुगतने के लिये तैयार रहना चाहिए क्योंकि हर छोटी बड़ी चीज़ का रिकार्ड तैयार हो रहा है।

इन तमाम हकीकतों के बावजूद जब बन्दा गुनाह पे गुनाह किये जाता है और परिणाम की परवाह नहीं करता तो जब क़्यामत के दिन उसका सारा रिकार्ड उसकी आंखों के सामने रख दिया जायेगा तो घबरा उठेगा।

''और क्यामत के दिन कर्म पत्र सामने रख दिये जायेंगे पस तू देखे गा कि पापी उसकी तहरीर से भयभीत हो रहे होंगे और कह रहे होंगे कि हाय रे हमारी खराबी यह कैसी किताब है जिसने न कोई छोटी चीज़ छोड़ी और न बड़ी चीज़ मगर सब को घेर रखा है और जो कुछ उन्होंने किया सब मौजूद पायेंगे और तेरा रब किसी पर अत्याचार न करेगा''। (सूरे कहफ़-४९)

❑❑❑

इस्लाम की खूबियां एवं अच्छाईयां

डा० मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन सालेह अस-सुहैम

इस्लाम की खूबियों का इहाता करने से क़लम निर्बल है, और इस दीन की श्रेष्ठतायें संपूर्ण तरीक़े से बयान करने से शब्द कमज़ोर हैं, और यह दीन (धर्म) मात्र अल्लाह तआला का दीन है, जिस प्रकार से दृष्टि अल्लाह तआला का इदराक नहीं कर सकती और मनुष्य उसके ज्ञान का इहाता नहीं कर सकता है उसी प्रकार से क़लम अल्लाह की शरीअत (कानून एवं क़ायदे) की खूबियों का इहाता नहीं कर सकता है।

इब्ने क़ैइम रहिमहुल्लाह कहते हैं: ''जब आप इस सीधे और सरल दीन, और मुहम्मद स० की शरीअत के अनुपम एवं अद्धितीय हिक्मत पर चिंतन करेंगे और मुहम्मद स० की शरीअत जिसके कमाल और खूबियों को शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता है, और उसकी अच्छाईयों का इदराक़ बयानों से नहीं लगाया जा सकता है, और न ही अक्लमंदों की अक्लें उसकी बुलंदियों का अंदाजा कर सकती हैं। अगरचे उनमें से सबसे संपूर्ण लोगों की बुद्धियां इकटठी हो जायें, जबकि विद्वान और पूर्ण बुद्धियां यह विचार करती हैं कि उन्होंने इस्लाम की खूबियों और अच्छाईयों का इदराक कर लिया, और उसकी श्रेष्ठता की गवाही दी, और यह कि दुनिया ने इस्लामी शरीअत से ज़्यादा संपूर्ण और इस से ज़्यादा पाकीज़ा और इससे ज़्यादा महान शरीअत का दरवाज़ा ही नहीं खटखटाया है तो आप को इसकी खूबी का अंदाज़ा हो जायेगा। अगर अल्लाह के रसूल कोई दलील एवं तर्क ना भी लाते तो तर्क और गवाही के लिए यही काफी था कि यह दीन अल्लाह की तरफ से है, और अल्लाह का पसंदीदा दीन है, और संसार की सारी चीज़ें उस (अल्लाह के संपूर्ण इल्म) की गवाही देती हैं। संसार की सारी चीज़ें अल्लाह के संपूर्ण इल्म, संपूर्ण हिक्मत, अत्यधिक दया एवं करूणा, नेकी और उपकार, ग़ैब और हाज़िर का संपूर्ण इल्म या जानकारी, नियम और परिणाम एवं अंजाम की जानकारी, आदि की गवाही देती हैं और यह अल्लाह का सबसे उच्च एवं महान वरदान है जो उसने अपने बंदों के साथ उपकार या वरदान किया है। बंदों पर अल्लाह का सबसे महान वरदान यह है कि उसने अपने (दीन) इस्लाम के द्वारा लोगों की हिदायत की, और उसने लोगों को उसके योग्य बनाया, और उनके लिए इसको (इस्लाम) पसंद किया। यही कारण है कि अल्लाह ने अपने बंदों पर उपकार करते हुए उनको उसकी (इस्लाम) की तरफ हिदायत की। अल्लाह तआला का फ़रमान है:

''बेशक मुसलमानों पर अल्लाह का उपकार (एहसान) है कि उसने उन्हीं में से एक रसूल उनमें भेजा जो उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाता है और उन्हें पाक करता है, और उन्हें किताब और सूझ-बूझ सिखाता है, और बेशक यह सब इससे पहले वाज़ेह तौर से भटके हुए थे।'' (सूरे आले इमरान १६४)

और अल्लाह तआला अपने बंदों का परिचय कराते हुए और अपने महान वरदानों को याद दिलाते हुए और उन वरदानों के प्रति उन पर धन्यवाद प्राप्त करते हुए फ़रमाता है:

''आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया'' (सूरतुल मायेदा:३)

इस दीन के प्रति हम अल्लाह का धन्यवाद अदा करते हुए दीन इस्लाम की कुछ खूबियों को संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं:

१. इस्लाम अल्लाह का दीन:

यह वही दीन है जिसे अल्लाह तआला ने अपने लिए पसंद किया है, और इसको देकर रसूलों को भेजा, और अपनी मख़लूक़ को यह आदेश दिया कि उसके दीन के द्वारा उसकी पूजा एवं इबादत करें।

जिस प्रकार अल्लाह तआला ने अपने आप को पूर्णत: कमाल के गुण से मुत्तसिफ़ किया है, उसी प्रकार उसका दीन पूर्णत: कमाल का वाहक है। उन क़ानूनों एवं क़ायदों को पूरा करने में जिस से लोगों की दुनिया एवं आख़िरत दोनों की सुधार हो सके और उनमें दोनों जहां का लाभ मौजूद हो, और जो अल्लाह के हुक़ूक़ और बंदों के वाजिबात (आवश्यक चीज़ों) और लोगों का हक़ एक दूसरे के प्रति और इसी प्रकार एक-दूसरे के (वाजिबात) की जानकारी देता हो।

२. व्यापकता: इस दीन की सबसे महत्वपूर्ण खूबी एवं अच्छाई यह है कि यह हर चीज़ पर सम्मिलित है। अल्लाह तआला का फ़रमान है:

''हमने किताब में लिखने से कोई चीज़ न छोड़ी'' (सूरतुल अंआम ३८)

इसलिए यह दीन हर उस चीज़ को शामिल है जिसका संबंध अल्लाह से है। जैसे अल्लाह के नाम उसकी खूबियां और उसके हुक़ूक़, इसी प्रकार हर वह चीज़ जिसका संबंध मख़लूक़ से हो, जैसे कानून एवं क़ायदे, अधिकार, सद्व्यवहार और वाजिबात इत्यादि।

इस दीन ने रसूलों, नबियों, फ़रिश्तों और पहले तथा बाद के लोगों की ख़बरों से आगाह कर दिया है। इसी प्रकार इसमें आकाश, धरती, गगनों, सितारों, समुद्रों, पेड़ों, और कायनात के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है, और मनुष्य को जन्म देने का कारण और उसके मक़सद एवं रहस्य को बयान किया है। इसी प्रकार स्वर्ग और मोमिनों के ठिकाने का वर्णन और नरक और काफिरों के अंतिम अंजाम का वर्णन किया है।

३. इस्लाम अल्लाह और बंदों के बीच संबंध को जोड़ता है:

इस्लाम की यह विशेषता है कि वह मनुष्य का सम्बंध सीधे अपने खालिक़ (जन्मदाता) से जोड़ता है। बीच में किसी वसीला और आदरणीय मनुष्य, या किसी पवित्र ज़ात का सहारा नहीं लेता है बल्कि अल्लाह ही से सीधा सम्पर्क होता है। खालिक़ और मखलूक के बीच ऐसा संबंध जो बुद्धि को उसके रब के साथ जोड़ता है तो वह उससे प्रकाश प्राप्त करता है, और उसका मार्गदर्शन करता है, उसको ऊंचा करता है और उसके द्वारा कमाल बंदगी प्राप्त करता है और घटिया कामों से दूरी इख्तियार करता है, अगर कोई मनुष्य दिल से अपने खालिक़ से संबंध नहीं रखता है तो वह चौपायों से भी कमतर है।

यह ख़ालिक़ (अल्लाह) और मख़्लूक़ (बंदों) के बीच ऐसा संबंध है

जिसके द्वारा बंदा अपने रब की इच्छा से परिचित होता है, जिसके कारण अपने रब की पूजा एवं इबादत बसीरत (बुद्धिमता) से करता है, और इस संबंध के द्वारा उसकी खुशी एवं प्रसन्नता की जगहों से भी परिचित होता है और उसको हासिल करता है, तथा अल्लाह की नाराज़गी की जगहों को जान कर उससे परहेज़ करता है। और यह एक महान खालिक़ (ईश्वर) और ग़रीब निर्बल मखलूक़ (बंदों) के बीच ऐसा संबन्ध है जिसके द्वारा मख़लूक़ (बंदा) मदद, सहयोग और ईश्वरीय मार्गदर्शन प्राप्त करता है, और वह अल्लाह से प्रश्न करता है कि उसको छल-कपट करने वालों के छल-कपट और शैतानों की चाल से रक्षा करे।

४. इस्लाम दुनिया और आखिरत दोनों में लाभ पहुंचाना चाहता हैः इस्लाम का क़ानून एवं शरीअत दुनिया एवं आख़िरत के लाभ की प्राप्ति और उच्च अख़्लाक़ की पूर्ति के नींव पर स्थापित है।

आख़िरत के लाभ का बयानः (इस्लामी) शरीअत ने इसकी सारी क़िस्मों को बयान कर दिया है, उनमें से किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ा है, बल्कि उसकी तशरीह एवं व्याख्या और वज़ाहत भी कर दी है ताकि उनमें से कोई चीज़ भी बाक़ी न रहे। नेक लोगों को उसके वरदानों का वादा किया गया है और नाफ़रमानों को उसके अज़ाब एवं सज़ा की ध मकी सुनाई गई है।

दुनियावी लाभ का बयानः अल्लाह तआला ने इस दीन (धर्म) में हर उस चीज़ को कानून का दर्जा दिया है जो इंसान के दीन, उसकी जान, धन, नसब, सम्मान और उसकी बुद्धि की रक्षा करे।

उच्च अख़्लाक़ का बयानः अल्लाह तआला ने इसका आदेश ज़ाहिरी एवं बातनी दोनों प्रकार से दिया है, तुच्छ और घटिया काम से मना किया है, तो ज़ाहिरी विनम्रता सफाई, पवित्रता, गंदगी, मैल-कुचैल से बचना, खुश्बू लगाने, अच्छे कपड़े और अच्छी शक्ल-सूरत में रहने की शिक्षा दी है। इसी तरह खबीस चीज़ों को हराम समझना, जैसे ज़िना, शराब पीना, मुर्दा जानवरों का गोश्त खाना और सुअर का मांस खाना आदि।

बातिनी (अन्दरूनी) दिली सफ़ाईः अन्दरूनी एवं दिली सफ़ाई का अर्थ यह है कि मनुष्य घृणित एवं ख़राब व्यवहार से दूर रहे और अच्छाई एवं शिष्टता तथा सदाचार से सुशोभित हो। और बुरा सदाचार यह है कि झूठ, बदकारी, ज़िना, प्रकोप, ईर्ष्या (हसद), कंजूसी, जाह एवं हश्मत से प्रेम, दुनिया की मुहब्बत, घमण्ड और दिखावा आदि।

प्रशंसित सद्व्यहारः सदाचार के कुछ महत्वपूर्ण इस प्रकार से हैंः विनम्रता, मनुष्य की शिष्टता और अच्छों की संगत, उपकार करना, न्याय, आदर एवं सत्कार, सच्चाई एवं सत्यता, अच्छा स्वभाव, अल्लाह पर भरोसा, निस्वार्थता, अल्लाह का डर एवं ख़ौफ, सब्र तथा धैर्य और अल्लाह के वरदानों का धन्यवाद आदि।

५. सरलता :

सरलता वह महत्वपूर्ण खूबी है जिस से यह दीन प्रतिष्ठत है, इस दीन के हर धार्मिक चिन्ह में सरलता रखी गयी है, इसकी सारी इबादतों में आसानी एवं सरलता है।

अल्लाह तआला का फरमान हैः

''और (अल्लाह ने) तुम पर दीन के बारे में कोई कठिनाई नहीं

की।'' (सूरतुल हजः ७८)

और इस सरलता का अर्थ यह है कि जब इंसान सफर करता है या वह बीमार हो जाता है तो उसकी इबादत में कमी एवं आसानी और सरलता पैदा कर दी जाती है, और उसको उस कार्य का सवाब निवासी (मुक़ीम) और सही व स्वस्थ के समान मिलता है, बल्कि एक मुसलमान का जीवन सरल एवं संतुष्ट और निश्चिन्त होता है। इसके विपरीत काफिर का जीवन संकुचित और चिंतित स्थिति से घिरा होता है, और इसी प्रकार मोमिन की आत्मा (रूह) बहुत आसानी से निकाल ली जाती है, जिस प्रकार से पानी की बूंद बर्तन से निकलती है।

अल्लाह तआला का फ़रमान हैः

'' वे जिनकी जान फ़रिश्ते ऐसी हालत में निकालते हैं कि वह पाक-साफ हों, कहते हैं कि तुम्हारे लिये सलामती ही सलामती है अपने उन कर्मों के बदले जन्नत में जाओ जो तुम कर रहे थे।'' (सूरतुन नहलः३२)

जहां तक रही बात काफ़िरों की, तो उसके मौत के समय बहुत ही सख़्त गंदे मैले फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं और उसको कोड़े से मार कर उसकी जान निकालते हैं।

जैसे कि अल्लाह तआला का फ़रमान हैः

''अगर आप ज़ालिमों को मौत के सख़्त अज़ाब में देखेंगे, जब फ़रिश्ते अपने हाथ लपकाये होते हैं कि अपनी जान निकालो, आज तुम्हें अल्लाह पर नाहक़ इल्ज़ाम लगाने और तकब्बुर से उसकी आयतों का इंकार करने के सबब अपमानकारी (रूस्वाकुन) बदला दिया जायेगा। '' (सूरतुल अंआमः १३)

अल्लाह तआला का फ़रमान हैः

''और काश कि तू देखता जबकि फ़रिश्ते काफ़िरों की जान निकालते हैं, उनके मुंह और कमर पर मार मारते हैं (और कहते हैं) तुम जलने के अज़ाब का मज़ा चखो। (सूरतुल अंफ़ाल ५०)

६. न्याय

जिस ज़ात ने इस्लामी शरीअत को क़ानूनी रूतबा दिया वह मात्र एक अल्लाह है, और वही सारे मख़लूक़, काले-गोरे मर्द और औरत सारे लोगों को पैदा किया, और यह सारे लोग अल्लाह की हिकमत, उसके न्याय, उसकी दया के सामने सब समान हैं। और उसने मर्द एवं औरत के लिए जो उचित है उसको कानून का रूतबा दिया है।

अतः ऐसी हालत में असंभव है कि शरीअत आदमी के साथ पक्षपात करे और औरतों को श्रेष्ठता दे और आदमी के साथ अन्याय करे, या गोरे लोगों को प्रधानता दे, और कालों को उससे वंचित कर दे, लिहाज़ा अल्लाह तआला की शरीअत के निकट सारे लोग समान (बराबर) हैं उनके बीच सिवाये एक चीज़ की वजह से बरतरी साबित होती है और वह है अल्लाह का डर एवं खौफ़।

७. भलाई का आदेश देना और बुराई से मना करनाः

यह शरीअत महान एवं उच्च और बुलन्द विशेषताओं पर आधारित है, और वह है भलाई एवं अच्छाई का आदेश देना और बुरे कार्यों से रोकना।

लिहाज़ा हर मुसलमान, मर्द एवं औरत बालिग, बुद्धिमान, ताक़तवर के लिए आवश्यक है कि भलाई का आदेश दे और अपनी

शक्ति के अनुसार गलत कामों से मना करे। भलाई के आदेश और बुराई से मना करने की ज़िम्मेदारी के हिसाब से, और वह यह है कि भलाई एवं अच्छाई का आदेश हाथ से करना और हाथ से ग़लत कार्य को रोकना, और अगर इसके पास इतनी शक्ति नहीं है तो वह लोगों को अपनी ज़बान से मना करे, अगर इसकी भी शक्ति नहीं है तो कम से कम अपने दिल में ही बुरा जाने और समझे।

इस प्रकार से पूरी उम्मत एक-दूसरे के लिए निरीक्षक बन जाए। लिहाज़ा सारे लोगों के लिए उचित है कि वह भलाई का आदेश दें, और हर उस मनुष्य को बुराई से मना करें जो भलाई के कार्य करने से आलसी होते हैं। इसी तरह अगर किसी ने पाप या अपराध किया है, चाहे वह शासक हो या प्रजा तो अपनी शक्ति के अनुसार कानून का पालन करते हुए, उसे रोके। यह आदेश हर मनुष्य पर उसके शक्ति के अनुसार आवश्यक है,

तो यह इस्लाम की कुछ महत्वपूर्ण खूबियां हैं, अगर आप उनको विस्तार से वर्णन करना चाहेंगे तो यह चीज़ इस बात का तक़ाज़ा करती है कि हर धार्मिक चिन्ह, हर फर्ज़ और हर आदेश एवं हर प्रतिबंध ा आदि को बयान करें और जो कुछ उस में संपूर्ण हिक्मत, ठोस क़ानून, संपूर्ण भलाई एवं सुन्दरता और चमत्कार हैं, उन पर गौर किया जाये।

जो इस दीन की शरीअतों (कानून) पर चिंतन-मनन करेगा उसको अच्छी तरह ज्ञात हो जाएगा कि यह दीन अल्लाह की ओर से उतारा गया है, और बगैर किसी शंका एवं संदेह के यह दीन ऐसे मार्ग की ओर रहनुमाई करता है जिस में कोई अंधकार नहीं है।

इसलिए अगर आप ने अल्लाह तआला की ओर ध्यान देने, उसकी शरीअत की फरमांबरदारी करने और उसके नबियों एवं रसूलों की पैरवी करने का मज़बूत इरादा कर लिया है, तो तौबा (गुनाहों की माफ़ी मांगने) का दरवाज़ा खुला हुआ है, और आप का रब बहुत ज़्यादा क्षमा करने वाला और दयावान है, वह आपके गुनाहों को क्षमा कर देगा।

❑❑❑

(प्रेस रिलीज़)

जुमादल ऊला १४४५ का चाँद नज़र नहीं आया

दिल्ली, १४ नवंबर २०२३

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की ''मर्कज़ी अहले हदीस रूयते हिलाल कमेटी दिल्ली'' से जारी अखबारी बयान के अनुसार दिनांक २९ रबीउल अव्वल १४४५ हिजरी अर्थात १४ नवंबर २०२३ मंगल को मग्रिब की नमाज़ के बाद अहले हदीस मंज़िल, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद, दिल्ली में ''मर्कज़ी अहले हदीस रूयते हिलाल कमेटी दिल्ली'' की एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई और सफ़रूल मुजफ्फर के चांद को देखने के सिलसिले में यथापूर्व देश के अधिकांश राज्यों की जमाअती इकाइयों के पदध ाारियों और समुदायिक संगठनों से फून के माध्यम से संपर्क किये गये जिसमें विभिन्न राज्यों से चांद को देखने की प्रमाणित खबर नहीं मिली। इस लिये यह फैसला किया गया कि दिनाँक १५ नवंबर २०२३ बुद्ध के दिन रबीउल आख़िर की ३०वीं तारीख होगी।

मानव अधिकार इस्लाम की शिक्षाओं की रोशनी में

डा० मुहम्मद तैयब शम्स

इस्लाम में पड़ोसी के अधिकार का भी बहुत ख्याल रखा गया है कि पड़ोसी को किसी भी प्रकार का कोई दुख न पहुंचे। अगर पड़ोसी गरीब और परेशान है तो उसकी मदद करनी चाहिये और उससे अच्छी तरह से पेश आना चाहिये छोटे मोटे सामान देने से इन्कार नहीं करना चाहिये। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है।

''और तुम अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठेहराओ और मां बाप के साथ भलाई करो और रिश्तेदारों से और यतीमों और मुहताजों और नजदीकी पड़ोसी और अजनबी पड़ोसी और हम मज्लिस और राह के मुसाफिर से और उनसे जिनके तुम मालिक हो चुके हो (गुलाम, कनीज़) उनसे भलाई किया करो, बेशक अल्लाह उस शख्स को पसन्द नहीं करता जो तकब्बुर (घमण्ड) करने वाला फख्र करने वाला हो''। (सूरे निसा-३६)

हज़रत अबू हुरैरह रजिअल्लाह तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के सन्देष्टा हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अल्लाह और आख़िरत के दिन पर यकीन रखता है वह अपने पड़ोसी को दुख न पहुंचाये जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर विश्वास रखता है उसे चाहिये कि वह मेहमानों की इज्ज़त करे और जो अल्लाह और आख़िरत के दिन पर यकीन रखता है उसे चाहिये कि वह भलाई की बात करे वर्ना खामूश रहे। (बुखारी मुस्लिम)

इस्लाम में अनाथों के अधिकार का भी बेहद ख्याल रखा गया है, यतीमों (अनाथों) की देख भाल उनकी सुरक्षा भलाई का काम है, यतीमों से हमेशा प्यार व मुहब्बत से पेश आना चाहिये। कुरआन में अल्लाह तआला ने यतीमों के अधिकार के सिलसिले में जिम्मेदार रहने का उपदेश दिया है और अपने माल से कुछ हिस्सा देने का हुक्म दिया है।

कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता हैः

''और यतीमों को उनके बालिग हो जाने तक सुधारते और आज़माते रहो फिर अगर उनमें तुम होशियारी और हुस्ने तदबीर पाओ तो उन्हें उनके माल सौंप दो और उनके बड़े हो जाने के डर से उनके मालों को जल्दी जल्दी फुजूल खर्चियों में तबाह न करो''। (सूरे निसा-६)

सहल बिन सअ्द रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान

करते हैं कि अल्लाह के सन्देष्टा हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं और यतीम की किफालत करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे और आपने अपनी शहादत की उंगली और बीच वाली उंगली के दर्मियान कुशादगी की। (सहीह बुखारी)

इस्लाम से पहले अरब वासी नरीना औलाद से अत्यंत प्रेम और प्यार करते थे और लड़कियों को जीवित दफन कर दिया करते थे इस्लाम धर्म ने इन जाहिलाना रस्म व रिवाज का खात्मा किया बल्कि औलाद चाहे बेटा हो या बेटी पालन पोषण करने, शिक्षा देने और उनकी शादी कराने का हुक्म दिया और उनके अधिकार भी बताये। कुरआन में औलाद के अधिकार को इस प्रकार बयान किया गया है।

''माएं अपनी औलादों को दो साल कामिल दूध पिलायें जिसका इरादा दूध पिलाने की मुददत बिल्कुल पूरी करने का हो और जिनके बच्चे हैं उनके जिम्मे उनका रोटी कपड़ा है जो मुताबिक़े दस्तूर के हो। हर शख्स को उतनी ही तकलीफ़ दिया जाता है जितनी उसकी ताक़त हो मां को इसके बच्चे की वजह से या बाप को उसकी औलाद की वजह से कोई जरर न पहुंचाया जाये। वारिस पर भी इस जैसी जिम्मेदारी है फिर अगर दोनों मां बाप अपनी रिजामन्दी और आपसी मश्वरे से दूध छुड़ाना चाहें तो दोनों पर कुछ गुनाह नहीं और अगर तुम्हारा इरादा अपनी औलाद को दूध पिलवाने का हो तो भी तुम पर कोई गुनाह नहीं जबकि तुम उनको दस्तूर के मुताबिक जो देना हो वह वह उनके हवाले कर दो। अल्लाह से डरते रहो और जानते रहो कि अल्लाह तआला आमाल की देख भाल कर रहे हैं। (सूरे २३३)

हज़रत अबू मसऊद बदरी रजिअल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया ''जब आदमी अपने परिवार पर सवाब की नियत से खर्च करता है तो वह उसके लिये सदका (नेकी) शुमार होता है''। (बुखारी मुस्लिम)

इस्लाम में हर मजदूर और मेहनत करने वाले को अपनी मेहनत का उचित अधिकार प्राप्त है लेकिन साथ में यह भी ताकीद की गयी है वह ईमानदारी से काम करे, काम से जी न चुराये चोरी न करे, मालिक के माल को बर्बाद होने से बचाये इनके साथ साथ मालिक की जिम्मेदारी है कि वह किसी मजदूर से उसकी पगार के मुताबिक ही काम ले और मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले दे अर्थात पगार देने में जल्दी करे वादे के अनुसार उसकी मजदूरी में कमी न करे। कुरआन में अल्लाह फरमाता है बेशक अल्लाह न्याय और भलाई का हुक्म देता है (सूरे नह्ल-९)

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मजदूर को मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले दे दो। (इब्ने माजा)

पैगम्बर मुहम्मद स०अ०व० के उपदेश

हज़रत मआज़ बिन जबल रजियल्लाहो अन्हो बयान करते हैं कि मुझ से रसूल स०अ०व० ने फरमाया जिस शख्स का आखिरी कलाम ''लाइलाहा इल्लल्लाह'' हो वह जन्नत में जायेगा। (अबू दाऊद ३११६)

❑ अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजियल्लाहो अन्हुमा बयान करते हैं कि मैंने रसूल स०अ०व० को फरमाते हुए सुना कि जिस किसी मुसलमान के मरने पर चालीस ऐसे आदमी जनाज़े की नमाज़ पढ़ा दें जो अल्लाह के साथ शिर्क न करते हों तो अल्लाह तआला उनकी सिफारिश उसके हक़ में कुबूल करता है। (मुस्लिम-६४८)

❑ अबू हुरैरा रज़ियल्लाहो अन्हो बयान करते हैं कि रसूल स०अ०व० ने फरमाया जो शख्स किसी के जनाज़े में नमाज़ की अदायगी तक शामिल रहे तो उसे एक कीरात के बराबर सवाब मिलेगा। पूछा गया कि कीरात का क्या अर्थ है तो आप ने फरमायाः दो बड़े पहाड़ अर्थात जनाज़े की नमाज़ और तदफीन तक साथ रहने वाला दो बड़े पहाड़ों के बराबर सवाब लेकर वापस लौटेगा। (सहीहुल बुखारी १३२५, सहीह मुस्लिम ६४५)

❑ हज़रत अनस रजियल्लाहो अन्हो बयान करते हैं कि आपने फरमाया क्यामत की निशानियों में से है कि इल्म उठा लिया जायेगा, जाहिलियत बढ़ जायेगी और शराब पिया जायेगा ज़िना (व्यभिचार) आम हो जायेगा। (बुखारी-मुस्लिम)

हज़रत आइशा रजियल्लाहो तआला अन्हा बयान करती हैं कि रसूल स०अ०व० ने महल्लों में मस्जिदें बनाने उन्हें पाक साफ और खुश्बूदार रखने का हुक्म दिया है। (अबू दाऊद)

❑ जिसने अल्लाह की खुशी के लिये मस्जिद बनायी तो अल्लाह तआला उसके लिये जन्नत में वैसा ही घर बनायेगा। (बुखारी-४५०)

❑ मुहम्मद स० ने फरमायाः जब तुम्हारा गुज़र जन्नत के बागों में से हो उसके फल खाओ। हज़रत अबू हुरैरा रजिअल्लाहो अन्हो ने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल! जन्नत के बाग कौन से हैं? तो मुहम्मद स०अ०व० ने फरमाया कि मस्जिदें हैं।

❑ मुहम्मद स०अ०व० ने फरमायाः मोमिन की मौत के बाद उसके कर्म और अच्छे कामों से जिसका उसे सवाब मिलता है वह सात हैं। इल्म जो उसने दूसरों को सिखाया और फैलाया २. नेक लड़का ३. कुरआन मजीद, जिसका किसी को इल्मी वारिस बनाया। ४. मस्जिद जिसने बनवायी ५. घर जो मुसाफिरों के लिये बनवाया। ६. नहर ७. सदक़ा जो अपनी जिन्दगी में स्वस्थ होने की हालत में दिया। इन सात कामों का सवाब मौत के बाद भी इन्सान को मिलता रहता है।

नबी स०अ०व० ने फरमाया कि जब कब्र में सवाल होता है तो काफिर या मुनाफिक यह जवाब देता है हाय हाय मुझे मालूम नहीं मैंने लोगों को एक बात करते हुये सुना तो मैं भी इसी तरह कहता रहा इसके बाद उसे लोहे से मारा जाता है कि वह चीख उठता है उसकी

चीख पुकार को इन्सान और जिन्नातों के अलावा हर चीज़ सुनती है अगर इन्सान इस आवाज़ को सुन ले तो बेहोश हो जायेगा।(बुखारी १३८०. १३३८)

❑ रसूल स०अ०व० ने फरमायाः जुल्म और ज्यादती और रिश्ता नाता तोड़ना यह दोनों ऐसे जुर्म हैं कि अल्लाह तआला आखिरत की सजा के साथ दुनिया ही में इसकी सजा दे देता है। (तिर्मिज़ी २५११, अबू दाऊद ४९०२)

❑ रसूल स०अ०व० ने फरमाया रिश्ता नाता अर्श से लटका हुआ है और कहता है, जो मुझे मिलाये, अल्लाह उसे अपने साथ मिलाये और जो मुझे तोड़े अल्लाह उसे अपने से तोड़े। (मुस्लिम २५५५)

❑ नबी स०अ०व० ने फरमायाः किसी मिस्कीन पर सदक़ा करना केवल सदका है और अगर यही सदका किसी गरीब रिश्तेदार पर किया जाये तो इसकी हैसियत दो गुना हो जाती है एक सदके का सवाब और दूसरे रिश्तेनातेदारी जोड़ने का सवाब। (तिर्मिज़ी ६५८)

❑ नबी स०अ०व० ने फरमायाः जो शख्स अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखता हो उसे रिश्ता नाता जोड़े रहना चाहिये।

नबी स०अ०व० ने फरमायाः रिश्ता नाता जोड़ने से खानदान में मुहब्बत बढ़ती है माल में बढ़ोतरी होती है और उमर में बरकत होती है। (तिर्मिज़ी)

❑ तुम में से जो शख्स कोई बुराई देखे तो उसको अपने हाथ से खत्म करे अगर इसकी ताकत न हो तो जुबान से दूर करने का प्रयास करे, और अगर इसकी भी ताकत न हो तो दिल में इसको बुरा जाने और यह ईमान की सबसे कमज़ोर अलामत है। (मुस्लिम)

❑ मजलूम की बददुआ से बचो इसलिये कि इसके और अल्लाह के बीच कोई पर्दा नहीं। (बुखारी)

❑ अगर किसी ने अपने भाई को अपमानित (रूस्वा) किया है, उसके माल व दौलत या किसी और चीज़ से कुछ लिया है या किसी के साथ कोई जुल्म किया है तो दुनिया ही में उसको मआफ करा ले और उसकी भरपाई कर दे वर्ना क्यामत के दिन जब दीनार व दिहर्म न होंगे ताकि किसी को इनके माध यम से खुश किया जा सके। जालिम के अच्छे कर्मों को उसके जुल्म के हिसाब से मजलूम के हिस्से में डाल दिये जायेंगे। जब उसका नाम-ए-आमाल नेकियों से खाली हो जायेगा और मजलूम का हक़ बाकी रहेगा तो मजलूम के गुनाह उसके सर पर डाल दिये जायेंगा। (बुखारी)

❑ जुल्म से बचो इसलिये कि जुल्म क्यामत के दिन अंधेरा बन कर आयेगा। (मुस्लिम)

❑ अपने भाई की मदद करो, चाहे वह जालिम हो या मजलूम। आप स०अ०व० से पूछा गया, जालिम की मदद कैसे की जाये। फरमाया कि उसको जुल्म करने से रोकना ही उसकी मदद है। (बुखारी-मुस्लिम)

❑ ऐ अबू ज़र! जब तुम्हारे घर सालन बनाया जाये तो उसमें पानी बढ़ा लिया करो और अपने पड़ोसी का ख्याल रखो। (मुस्लिम ४७५८)

❑ जो व्यक्ति अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो वह अपने पड़ोसी को दुख न दे। (बुखारी ०५६७१)

❑ वह व्यक्ति जन्नत में नहीं जा सकता जिस की शरारतों से उसका पड़ोसी सुरक्षित न हो। (मुस्लिम-६६)

❑ एक बार मुहम्मद

स०अ०व० ने तीन बार यह वाक्य सुनाया अल्लाह की कसम वह व्यक्ति मोमिन नहीं हो सकता जिसके दुख से उसका पड़ोसी सुरक्षित न हो। (बुखारी-५५५७)

❑ अल्लाह के नजदीक साथियों में सबसे बेहतर साथी वह है जो अपने साथी के हक़ में बेहतर हो और सबसे अच्छा पड़ोसी वह है जो अपने पड़ोसी के हक़ में बेहतर हो। (तिर्मिज़ी-१८६८)

❑ जिसे यह पसन्द हो कि अल्लाह और उसके रसूल उससे मुहब्बत करें तो उसे चाहिये कि वह हमेशा सच बोले और जब किसी मामले पर उस पर भरोसा किया जाये तो वह अपने इमानतदार होने का सुबूत दे और अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करे (बैहकी १५०२)

❑ हज़रत आइशा रज़िअल्लाहो तआला अन्हा बयान करती हैं कि रसूल स०अ०व० ने फरमायाः कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब भी मेरे पास आते तो मुझे पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करने पर इतना ज़ोर देते थे कि मुझे ऐसा लगने लगता था कि वह वरासत में पड़ोसी को हिस्सेदार बना देंगे। (बुखारी-५५५५)

❑ तुममें सब से बेहतर वह है जिसके जरिये से दूसरे इन्सानों को सबसे ज़्यादा भाइदा पहुंचे।

❑ भ्रम से बचो, क्योंकि वह बदतरीन झूठ है, दूसरों की टोह में न लगे रहो, दलाली न करो, साजिश न करो, एक दूसरे के खिलाफ डाह न रखो और अल्लाह के बन्दे बनकर भाई भाई की हैसियत से रहो। (मुस्नद अहमद २८७/२)

❑ रिश्ता नाता अर्श से लटका हुआ है रिश्ता नाता कहता है कि जो मुझे जोड़े गा अल्लाह तआला उसे अपनी रहमत से जोड़ेगा और जो मुझे काटेगा अल्लाह तआला उसे अपनी रहमत से काट देगा। (बुखारी१४७/१)

❑ रिश्ता-नाता तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जायेगा। (बुखारी)

❑ अल्लाह तआला ने रिश्तेदारी को खिताब करते हुये फरमाया क्या तू उससे खुश नहीं है कि जिसने तुझे मिलाया मैं उसे जन्नत से मिलाऊं और जिसने तुझे काटा मैं उसे (जन्नत से) काट दूं। (बुखारी)

❑ हज़रत अबू अय्यूब अंसारी बयान करते हैं कि एक व्यक्ति ने आकर मुहम्मद स०अ०व० से पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल मुझे कोई ऐसा काम बता दिजिये, जिसको करने से मैं जन्नत में चला जाऊं। मुहम्मद स०अ०व०ने फरमायाः अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को साझीदार न ठहराओ, नमाज़ काइम करो, जकात दो, और रिश्तेदारों के साथ अच्छा व्यवहार करो। (बुखारी-मस्लिम)

❑ जिस व्यक्ति का अल्लाह पर ईमान हो तो उसे अपने रिश्तेदारों के साथ रिश्ता नाता जोड़े रखना चाहिये। (बुखारी)

❑ मुहममद स०अ०व०ने फरमाया उस शख्स की नाक खाक आलूद (धूल धूसरित) हो। उस शख्स की नाम खाक आलूद हो उस शख्स की नाक (धूल धूसरित) हो रसूल स०अ०व०से सहाबए किराम ने सवाल किया ऐ अल्लाह के रसूल किसकी नाक खाक आलूद हो? तो आप स०अ०व० ने जवाब दिया उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिसने अपने माता पिता को बुढ़ापे की अवस्था में पाया हो फिर उनकी खिदमत करके जन्नत में नहीं गया। (बुखारी)

❑ ❑ ❑

पति-पत्नी के अधिकार

डा० मुकतदा हसन अज़हरी रह०

इस्लाम ने सामाजिक व्यवस्था को अत्यधिक महत्व दिया है। उचित दिशा में यदि समाज का निर्माण न हो सके तो उसमें रहने वाले व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक सुख नहीं पा सकते। किसी समाज के उचित एवं सन्तुलित निर्माण के लिये आवश्यक है कि आपसी अधिकारों एवं कर्तव्यों का पूरा पूरा ध्यान रखें इस्लाम ने निकट सम्बन्धियों के अधिकारों की रक्षा पर बड़ा ध्यान दिया है तथा किसी भी प्रकार के अन्याय का कड़ाई के साथ विरोध किया है।

समाज में सन्तुलन तथा उसकी भलाई के लिये यह आवश्यक है कि उस समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों एवं हितों के साथ ही अन्य व्यक्तियों के अधिकारों तथा हितों का ध्यान रखे, तथा सदैव इस बात का प्रयास करे कि अधिकारों की प्राप्ति के साथ ही कर्तव्यों को भी निभाता रहे, वरन समाज का सन्तुलन स्थिर नहीं रह सकेगा, तथा इसके फलस्वरूप परिवार तथा उसके सभी सदस्य एक प्रकार के असन्तोष तथा मानसिक पीड़ा में ग्रस्त हो जायेंगे।

जीवन में अधिकारों तथा दायित्वों के दूरगामी प्रभाव के कारण इस्लाम ने पति-पत्नी के अधिकारों एवं दायित्वों का सविस्तार वर्णन किया है तथा दोनों से यह आपेक्षा की है कि वे अपने-अपने अधिकारों तथा दायित्वों के निर्वाह के विषय में विचार करते हुये सन्तान, समाज तथा पूरी उम्मत (इस्लाम धर्म के मानने वालों) के हितों को भी दृष्टिगत रखें। ऐसा न हो कि मनुष्य अपने अधिकारों की प्राप्ति के प्रयास में सन्तान, समाज या उम्मत के लिये क्षति का कारण बन जाये।

पत्नी के अधिकार

विवाह के उपरान्त पत्नी के निम्नलिखित अधिकार, पति पर लागू होते हैं।

१. भौतिक अधिकार

क. महर की रकम-यह स्त्री का विशेष अधिकार है। इससे यह मांग नहीं की जा सकती है कि वह महर की धनराशि से घरेलू सामग्री खरीदे, क्योंकि घरेलू आवश्यकताओं को पूर्ण करने या सजाने संवारने की जिम्मेदारी पति पर लागू होती है।

ख. आवश्यक एवं अनिवार्य व्यय-पुरूष का यह भी दायित्व हे कि वह दैनिक आवश्यकताओं के व्यय की व्यवस्था करे, क्योंकि पत्नी सन्तान की देख-रेख तथा घरेलू कार्यों में व्यस्त रहती है, इस कारण वह जीविका कमाने के लिये कोई कार्य नहीं कर सकती।

पुरूष पर व्यय का बोझ तथा जिम्मेदारी उस समय तक है जब तक स्त्री अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को निभाती रहेगी। यदि वह इस सम्बन्ध में अपने कर्तव्य का पालन न करे तो फिर उसके खाने पीने का अधिकार समाप्त हो जायेगा। परन्तु

यदि वह अपनी जिम्मेदारी को पुनः निभाने लगे तो वह भरण पोषण की पात्र हो जायेगी।

२. नैतिक अधिकार

३. पतनी का एक अधिकार यह भी है कि पति उसके साथ उचित व्यवहार करे। कुरआन की एक आयत में इस प्रकार के अधिकारों को बड़े ठोस रूप से स्पष्ट किया गया है।

अनुवादः जैसे महिलाओं पर पुरूषों के अधिकार हैं वैसे ही महिलाओं के भी नियमानुसार अधिकार हैं। सूर बकरा आयत-२२८

एक हदीस में है कि पूर्ण मोमिन वह है जिसके व्यवहार अच्छे हों तथा वह अपने परिवार पर दयालु हो। (औनुल माबूद ४३१/१२)

शरीअत ने महिलाओं के साथ कठोरता या उन पर अत्याचार को कड़ाई के साथ रोका है तथा उनके साथ दया एवं नरमी के व्यवहार का आदेश दिया है।

नबी स० का कथन है कि

अनुवादः महिलाओं के पक्ष में भलाई की वसीयत स्वीकार करो, वह पसली से पैदा की गई है। तथा पसलियों में सबसे ऊपर की पसली सबसे अधिक टेढ़ी है। यदि उसे सीधा करना चाहोगे तो टूट जायेगी और यदि उसे छोड़ दोगे तो सदैव टेढ़ी रहेगी, इसलिये महिलाओं के पक्ष में वसीयत स्वीकार करो। (फतहुल बारी २४३/१)

यदि किसी के पास एक से अधिक पत्नियां हों तो उनके मध्य प्रत्येक वस्तु में न्याय आवश्यक है। नबी स० का कथन है कि यदि किसी के पास दो पत्नियां हों तथा उनके बीच न्याय न करे तो कयामत (प्रलय) के दिन वह इस दशा में आयेगा कि उसका आधा शरीर झुका होगा।

अमर बिन अहवस रजि० से एक लम्बी हदीस वर्णित है कि महिलाओं के साथ अच्छे व्यवहार को आवश्यक समझो, वह तुम्हारे आधीन हैं। जब तक उनसे निर्लज्जता प्रचलित न हो, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। तुम्हारा उनपर तथा उनका तुम पर अधिकार है। तुम्हारा अधिकार यह है कि वह किसी अन्य के साथ व्यभिचार न करें तथा किसी अपरिचित व्यक्ति को घर में न आने दें, तथा उनका अधिकार यह है कि तुम उन्हें अच्छा खाना खिलाओ और अच्छे वस्त्र पहनाओ। (इब्ने माजा ४१४/१)

अबू दाऊद की एक हदीस में यह भी वर्णित है कि पत्नी को चेहरे पर मत मारो, बुरा भला न कहो तथा क्रोध में उसे घर से न निकालो। औनुल माबूद १८०/६

एक अन्य हदीस में वर्णित है कि उत्तम मनुष्य वह है जिसका अपने परिवार के साथ व्यवहार अच्छा हो। (इब्ने माजा ६३६/१)

इस्लाम ने सामान्य रूप से महिलाओं के सम्बन्ध में धैर्य से काम लेने का उपदेश दिया है। इसलिए यदि उनसे कोई अप्रिय कार्य हो जाये तो पुरूष को सन्तोष तथा संयम से काम लेना चाहिये तथा उनके साथ सदव्यवहार बन्द नहीं करना चाहिये। कुरआन ने मुसलमानों को इस प्रकार सम्बोधित किया है।

अनुवादः महिलाओं के साथ नियमानुसर निर्वाह किया करो, यदि तुम उन्हें किसी कारणवश नापसन्द करो तो भी निर्वाह करो, हो सकता है कि ईश्वर तुम्हारी अप्रिय वस्तु में

तुम्हारे लिये बहुत ही अच्छाई पैदा कर दे।'' (अन्निसा आयत न०-११)

ब. पति के लिये यह आवश्यक है कि वह जिस प्रकार पत्नी के खाने-पीने तथा पहनने ओढ़ने की व्यवस्था करता है, उसी प्रकार उसे रिश्तेदारों एवं सगे सम्बन्धियों के यहां भी जाने दे, यदि उसके घर (मायका) कोई बीमार हो तो उसे देखने का भी अवसर दे।

स. पत्नी के अधिकारों में उनकी भावनाओं का महत्व तथा उसके सुझाव का सम्मान भी है, यदि किसी समस्या में उसके सुझाव हितकारी हों तो उसपर व्यवहार आवश्यक है। नबी स० की जीवनी में हमें ऐसे अनेकों उदाहरण मिलते हैं हुदैबिया के अवसर पर रसूल अकरम स० ने हज़तर उम्मे सलमा रजि० की राय के अनुसार व्यवहार किया था तो उससे मुसलमान पापों से सुरक्षित रहे।

द. नैतिक अधिकारों में यह बात भी महत्वपूर्ण है कि पति, पत्नी को इस्लाम की अनिवार्य बातों, आस्थाओं तथा उपासनाओं की शिक्षा दे, तथा शरीअत के आदेशानुसार व्यवहार करने का उपदेश दे। सूरः तहरीम की आयत न०-६ में अल्लाह तआला ने परिवार तथा बाल बच्चों को नरक की आग से बचाने का जो आदेश दिया है, उस पर व्यवहार की एक सूरत यह भी है।

य. पत्नी के सम्मान तथा मयार्दा का भी ध्यान रखना पुरूष की जिम्मेदारी है। ऐसी सभाओं तथा स्थानों से दूर रखना आवश्यक है जिससे मान सम्मान के मिटने का भय हो तथा इस्लामी नियमों, आदेशों तथा शिष्टाचारों का उल्लंघन होना निचिश्त हो। इस प्रकार स्वभाविक रूप से भी, स्त्री के लिए ऐसा वातावरण बनाना चाहिये, जिसमें उसकी धार्मिकता की भी भावना का विकास हो सके, घर में साफ सुथरा धार्मिक तथा सभ्य साहित्य रखा जाये जब तक महिला में उच्च विचारध ाारा तथा कार्यों में पवित्रता एवं श्रेष्ठता उत्पन्न न होगी, उस समय तक वह घर के वातावरण को साफ-सुथरा एवं शान्तिमय नहीं बना सकती, और न ही उसके गोद में पलने वाली सन्तान विचारों तथा कार्यों द्वारा आदर्श बन सकती है।

इस्लाहे समाज
खरीदारी फार्म

पत्रिका को घर पर मंगवाने के लिये अपने पते में निम्न विवरण ज़रूर लिखें।

नाम.....

पिता का नाम.....

स्थान.....

पोस्ट आफिस.....

वाया.....

तहसील.....

जिला.....

पिन कोड.....

राज्य का नाम.....

मोबाइन नम्बर.....

अपना मनी आर्डर इस पते पर भेजें।

आफिस का पताःअहले हदीस **मंज़िल 4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद दिल्ली-6**

बैंक और एकाउन्ट का नामः

Markazi Jamiat Ahle Hadees Hind

A/c No. 629201058685 (ICICI Bank) Chani Chowk, Delhi-6

RTGS/NEFT/IFSC CODE ICIC0006292

नोटः-बैंक द्वारा रक़म भेजने से पहले आफिस को सूचित करें।

सुलैमान अलैहिस्सलाम

प्रो० डा० मुहम्मद ज़ियाउर्रहमान आज़मी

सुलैमान अलैहिस्सलाम बनी-इसराईल के महान नबियों में से थे। अल्लाह ने उनको दाऊद अलैहिस्सलाम, जो उनके पिता थे, का वारिस (अर्थात नुबूवत और शासन का उत्तराधिकारी) बनाया, क्योंकि धन का तन्हा वारिस तो नहीं बनाया जा सकता था। दाऊद अलैहिस्सलाम के और भी तो पुत्र थे। (देखियए सूरा-२७, अन-नम्ल, आयत-१६)

आप लगभग १०४५-१०२० ईसा पूर्व पैदा हुए। ऐसा लगता है कि उनके पिता हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनके अन्दर कुछ लक्षण देखे थे जिसके कारण उनको राज-पाट के कामों में अपने साथ रखते थे। यह बात कुरआन की इस आयत से सही मालूम होती है।

''जबकि दाऊद और सुलैमान खेती के बारे में निर्णय कर रहे थे, जब कुछ लोगों की बकरियाँ रात को चर गई थीं'' (सूरा-२१, अल-अंबिया, आयत-७८)

बाइबल से पता चलता है कि सुलैमान अलैहिस्सलाम के पिता दाऊद अलैहिस्सलाम उनसे अधिक प्रेम करते थे, क्योंकि उनकी माता बतशेबा दाऊद अलैहिस्सलाम की चहेती पत्नी थीं, जिन्हें एक बार दाऊद अलैहिस्सलाम ने वचन दिया था कि उनका पुत्र सुलैमान ही राज-पाट का मालिक बनेगा। लेकिन जब दाऊद अलैहिस्सलाम का बड़ा पुत्र अदोनिय्याह राज गद्दी पर बैठने का प्रयत्न करने लगा तो आप की पत्नी बतशेबा ने उनको अपना वचन याद दिलाया। इस प्रकार दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे पुत्र सुलैमान को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। (देखिएः बाइबल, प्रथम शासक १:१० और उसके बाद)

कारण कुछ भी हो दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने पुत्र सुलैमान अलैहिस्सलाम को अपने राज का उत्तराधिकारी बना दिया। बाइबल ही के अनुसार सर्वप्रथम सुलैमान ने जो काम किया वह यह था कि मिस्र के राजा (फिरऔन) की पुत्री से विवाह कर लिया। (देखिएः बाइबल, प्रथम शासक, ४:२४)

इस प्रकार उन्होंने अपने पड़ोस की सबसे बड़ी हुकूमत से दोस्ती कर ली। जिसके कारण पूरे चालीस वर्ष तक उन्होंने राज चलाया और इस अवधि में बनी-इसर्राल पूरी शान्ति के साथ जीवन व्यतीत करते रहे।

सुलैमान अलैहिस्सलाम की विषिष्टाताएं

१. अल्लाह ने हवा को उनके अधीन कर दिया था। कुरआन में है-

''और सुलैमान के लिए हमने प्रचंड वायु को वशीभूत कर दिया था, जो उसके आदेश से उस भूभाग की ओर चलती थी जिसे हमने बरकत दी थी और हम हर चीज़ का ज्ञान रखते हैं।'' (सूरा-२१, अल-अंबिया, आयत-८१)

एक दूसरे स्थान पर है।

''हमने सुलैमान के लिए हवा को वशीभूत कर दिया था। प्रातः समय उसका चलना एक महीने की राह तक और सांयकाल उसका चलना

एक महीने की राह तक।'' (सूरा-३४, सबा, आयत-१२)

एक तीसरे स्थान पर है

''फिर हमने उसके लिए वायु को वशीभूत कर दिया, जो उसके आदेश से जहां वह जाना चाहता सरलतापूर्वक चलती।'' (सूरा-३८, साद, आयत-३६)

कुरआन तथा सहीह हदीसों में इसका विवरण नहीं आया है कि सुलैमान अलैहिस्सलाम हवा के द्वारा किस प्रकार जहां चाते चले जाते थे। कुछ विद्वानों ने कुरआन की व्याख्या में लिखा है कि उनके पास लकड़ी का एक सिंहासन था। जिस पर वे आवश्यक सामान लेकर बैठ जाते थे। आपकी इच्छा के अनुसार वायु उस सिंहासन को लेकर, वे जहाँ चाहते उड़ा ले जाती थी। उसके द्वारा एक महीने की यात्रा आप प्रातः काल में पूरा कर लेते थे। इसी प्रकार एक महीने की यात्रा सांयकाल में कर लेते थे। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि हवा जहां जाना चाहती जाती। सूरा-२१, अल अंबिया में है कि एक महीने की यात्रा सांयकाल में कर लेती थी। परन्तु इसी सूरा अल-अंबिया में यह भी बताया गया है कि उनकी यात्रा उस धरती पर होती थी, जिसको अल्लाह ने बरकत दी थी। इससे पता चलता है कि वह यात्रा फ़िलस्तीन तथा उसके इधर-उधर तक ही सीमित थी। इसलिए कि यही भूखंड उनके शासन क्षेत्र में सम्मिलित था।

कुछ विद्वानों ने एक दूसरा अर्थ यह लिया है कि सुलैमान अलैहिस्सलाम के पास समुद्री जहाज़ थे, जिनके द्वारा वे विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं पूरी करते थे जैसे व्यापार, युद्ध इत्यादि परन्तु उस समय जहाज़ों का समुद्र में चलना एक मात्र हवाओं पर निर्भर करता था। अल्लाह ने सुलैमान अलैहिस्सलाम के लिए इन हवाओं को अधीन कर दिया था वे जिस प्रकार चाहते उनको आज्ञा देते और वे चलने लगती। कभी तेज़ आंधी की तरह, जब उनको कहीं जाने की जल्दी होती। और कभी आराम के साथ, जब आप व्यापार या सैर-तफरीह के लिए जाते। इसी को कुरआन ने शब्द 'असीफा' अर्थात तेज़ आंधी, और 'शक' रखा अर्थात आराम-आराम से कहकर संकेत किया। बाइबल से भी इस अर्थ की पुष्टि होती है। जिसके अनुसार उनके पास ऐसे जहाज़ थे, जो रोम सागर में घूमते रहते। (देखिए बाइबल, प्रथम शासन, दसवां अध्याय) अनुकूल वायु न होने पर भी उनको कोई कठिनावई नहीं होती थी, क्योंकि आपको उन पर अधिकार दिया गया था। परन्तु इस बात को मानने में एक प्रश्न यह पैदा होता है कि कुरआन में प्रातः काल एक मास की यात्रा, और सांयकाल एक मास की यात्रा का वर्णन है और वह समुद्र जो उनके शासन काल में था उसकी यात्रा एक मास से कम में की जा सकती थी। इसका उत्तर यह दिया जा सकता है कि कभी-कभी वे अपने शासन क्षेत्र से निकल कर दूसरे क्षेत्रों में भी चले जाते थे जिसकी यात्रा एक मास के निकट होती थी। जैसे सागर में तरशीश तक जिसका वर्णन बाइबल में आया है। यह तरशीश कहां है जहां की यात्रा में तीन वर्ष लगते थे जैसा कि बाइबल में आया है (प्रथम शासक, १०:२२) कुछ लोगों का विचार है कि यह जिब्राल्टर के निकट कोई शहर है। (देखिए कामूस मुकद्दस पृ.२१७) लेकिन यह केवल लेखक का विचार है। कुछ ऐसा लगता है कि बाइबल में भी यह गलती हो गई है कि जहाज़ तीन वर्ष तक यात्रा करते

रहते थे। जिसके कारण तरशीश को स्पेन के निकट सिद्ध करने की चेष्टा की गई है। जबकि यह तरशीश वही तरतूश है, जो रोम सागर में सीढ़ियों के एक तट का नाम है। और याफ़ा घाट से तरतूश तक एक मास लग सकता है जैसा कि कुरआन में बताया गया है।

२. अल्लाह तआला ने उनको पक्षियों की बोली सिखाई थी।

''सुलैमान दाऊद का वारिस हुआ। और उसने कहा, ''ऐ लोगो! हमें पक्षियों की बोली सिखाई गई है।'' (कुरआन, सूरा-२७, अन-नम्ल, आयत-१६)

सुलैमान अलैहिस्सलाम के पास हुदहुद नामक एक पक्षी था जिससे वे बात करते थे। एक बार वे पक्षियों की जांच पड़ताल कर रहे थे तो देखा की हुदहुद अनुपस्थित है तो उन्होंने पूछा-

''क्या बात है कि मैं हुदहुद को नहीं देख रहा हूं, क्या वह अनुपस्थित हो गया है?'' (कुरआन, सूरा-२७, अन-नम्ल, आयत-२०)

इससे मालूम होता है कि वे पक्षियों की प्रत्येक दिन जांच पड़ताल किया करते थे।

३. वे पशुओं की भी बोली समझते थे, जैसा कि कुरआन में है-

''यहां तक कि जब वे सब चींटियों की घाटी में पहुंचे तो एक चींटी बोल उठी, ऐ चींटियों, अपने घरों (बिलों) में घुस जाओ ऐसा न हो कि सुलैमान और उसकी सेनाएं तुम्हें कुचल डालें और उन्हें इसका एहसास भी न हो।'' (सूरा-२७, अनऋनम्ल, आयत-१८)

४. उनके अधिकार में मनुष्यों के अतिरिक्त जिन्न भी थे।

''सुलैमान के लिए जिन्नों, मनुष्यों तथा पक्षियों की सेनाएं तैयार की गईं।'' (कुरआन, सूरा-२७, अन-नम्ल, आयत-१७)

उन जिन्नों से वे विभिन्न प्रकार के काम लेते थे।

हमने उसके लिए पिघले हुए तांबे का स्रोत बहा दिया और कितने जिन्न थे, जो उसके रब के हुक्म से उसके सामने काम करते थे। और उनमें से जो हमारे हुक्म से फिरेगा, उसे हम दहकती आग का मज़ा चखाएंगे। वह जो चाहता (जिन्न) बना देते थे। जैसे ऊंचे-ऊंचे भवन, और प्रतिमाएं और लगन जैसे हौज़ हों, और (भारी-भारी) देगें, जो एक स्थान पर जमी रहती थीं।'' (कुरआन, सूरा-३४, सबा, आयतें-१२-१३)

इन जिन्नों के द्वारा उन्होंने बड़े-बड़े राजभवन बनवाए।

हो सकता है मस्जिदे-अक़्सा भी जिन्नों ही के द्वारा बनाई गई हो। जिन्नों में से एक शक्तिशाली जिन्न ने यह भी कहा कि अगर आप कहें तो मैं सबा की रानी का सिंहासन आपके उठने से पहले उपस्थित कर दूंगा। (देखेंः कुरआन, सूरा-२७, अन-नम्ल आयत-३९)

ऐसा लगता है कि कोई एक दूसरा जिन्न, जो बहुत शक्तिशाली तो नहीं था, परन्तु उसको अल्लाह तआला की पुरानी पुस्तकों का ज्ञान था, उसने तो यहां तक कह दिया कि मैं उसका सिंहासन आपके पलक झपकने से पहले ला दूंगा। (देखेंः सूरा-२७, अन-नम्ल, आयत-४०)

जब सुलैमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि सिंहासन उनके सामने उपस्थित है तो तुरन्त बोल उठे।

''यह मेरे रब का अनुग्रह है। ताकि वह मेरी परीक्षा करे कि मैं कृतज्ञता दिखलाता हूं या कुफ़्र करता हूं।''

मर्कज़ी जमीअत के द्वारा इमामों, प्रचारकों और अध्यापकों का आल इंडिया रेफ्रेशर कोर्स सफलता पूर्वक संपन्न

रेफ्रेशर कोर्स का अंतिम सत्र २४ सितम्बर २०२३ को मग़्रिब की नमाज के बाद अहले हदीस कम्पलैक्स में सफलतापूर्वक आयोजित हुआ जिस में मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की कार्य समिति के सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्यों, प्रतिष्ठित धार्मिक, समुदायकि, समाजी एवं ज्ञानात्मक हस्तियों ने प्रतिभाग लिया, संबोधित किया और रेफ्रेशर कोर्स के आयोजन पर मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के ज़िम्मेदारान को बधाई दी और इसको समय की बड़ी आवश्यकता क़रार दिया।

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस के द्वारा आयोजित इस रेफ्रेशर कोर्स से मर्कज़ी जमीअत के अध्यक्ष महोदय मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी ने संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से पैगम्बरों विशेष रूप से पैगम्बर मुहम्मद स० ने हक़ के रास्ते में परेशानियों को सहन करते हुए मानवता की सेवा की वह हमारे लिये आदर्श है। उदारता, सौहार्द, आपसी भाईचारा मुसलमान की खूबी है इसलिये मुसलमान के दिल में उदारता होनी चाहिए और जहां भी रहे मानवता दोस्ती का व्यवहार करना चाहिये। हम बहुधर्मीय समाज में रहते हैं हमें अपने पड़ोसियों, और देश बुन्धुओं का ख़्याल रखना चाहिए और किसी भी प्रकार की मानसिक संकीर्णता से बचना चाहिए। हिन्दू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई की भावना को मजबूती से थामे रखना चाहिए।

मौलाना असगर अली सलफी ने अधिकृत कहा कि मर्कज़ी जमीअत ने मानवता के कल्याण एवं विकास के कार्य को सदैव वरीयता दी है और उसने मानसिक संकीर्णता, हिंसा, आतंकवाद के खिलाफ सबसे पहले आवाज़ उठाई और मजबूती के साथ इसका विरोध किया।

अंतिम सत्र से मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के महा सचिव मौलाना मुहम्मद हारुन सनाबिली, उपसचिव मौलाना रियाज़ अहमद सलफी, प्रसिद्ध विद्ववान एवं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के प्रोफेसर एमरेट्स जनाब अख़तरूल वासे, शाह वलीउल्लाह इंस्टीटियूट के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती अताउर्रहमान क़ासिमी, डा० जुनैद हारिस, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इस्लामिक उवैकनिंग सेंटर के अध्यक्ष मौलाना मुहम्मद रहमानी, इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेन्टर के अध्यक्ष सिराजुददीन क़ुरैशी, मर्कजी जमीअत अहले हदीस हिन्द के सर्परस्त प्रोफ्रेसर अब्दुर्रहमान परेवाई, आल इंडिया मुस्लिम मज्लिसे मुशावरत के महा सचिव सैयद तहसीन अहमद, सऊदी दूतावास के मुस्तशार शैख बदर बिन अल अंजी, मर्कज़ी जमीअत के उपाध्यक्ष हाफिज़ मुहम्मद अब्दुल कैयूम, प्रादेशिक जमीअत अहले हदीस दिल्ली के अध्यक्ष मौलाना अब्दुस्सत्तार, प्रादेशिक जमीअत अहले हदीस जम्मू एण्ड कश्मीर के अध्यक्ष मौलाना गुलाम मुहम्मद बट मदनी, जमीअत अहले हदीस जम्मू कश्मीर के उपाध्यक्ष

डा० अब्दुल लतीफ किंदी, जमीअत अहले पश्चिम बंगल के अध्यक्ष मौलाना शमीम अख़्तर मदनी, प्रादेशिक जमीअत अहले हदीस आसाम के अध्यक्ष मौलाना मक़्सूदुर्रहमान मदनी, सूबाई जमीअत अहले हदीस पूर्वी यू.पी. के अध्यक्ष मौलाना अतीकुर्रहमान तैइबी, सूबाई जमीअत मध्य प्रदेश के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कुददूस उमरी, मर्सी टी.वी. के डायरेक्टर मुहम्मद जहीर, आंध्रा प्रदेश सूबाई जमीअत अहले हदीस के अध्यक्ष मौलाना फजलुर्रहमान, सूबाई जमीअत तमिल नाडो और पांडेचेरी के सचिव मौलाना अब्दुल वाहिद मदनी, सूबाई जमीअत अहले हदीस झारखण्ड के उप सचिव मौलाना शम्सुल हक़ सलफी, जामिया रियाजुल उलूम दिल्ली के सचिव आमिर अब्दुर्रशीद, मासिक इस्लाह समाज हिन्दी के संपादक मौलाना हाफिज़ मुहम्मद ताहिर सलफ़ी, मौलाना अबुल मकारिम अज़हरी, मौलाना इक़बाल मोहम्मदी, डा० अब्दुल करीम मुंबई, प्रसिद्ध पत्रकार जनाब ए यू आसिफ़ आदि ने संबोधित किया और इतने भव्य रेफ्रेशर कोर्स के सफल आयोजन पर मर्कज़ी जमीअत अहले हिन्द के जिम्मेदारान को बधाई दी और इसे समय की ज़रूरत क़रार दिया।

इस सत्र का शुभारंभ हाफिज़ मुहम्मद सैलूम की तिलावत से हुआ जबकि सत्र का संचालन मर्कज़ी जमीअत के उप सचिव मौलाना रियाज़ अहमद सलफी ने किया और मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के कोषाध्यक्ष हाजी वकील परवेज के धन्वाद पर इस सत्र का अंत हुआ। (जरीदा तर्जुमान १६-३१ अक्टूबर २०२३)

मर्कजी जमीअत अहले हदीस हिन्द की पत्रिकाओं का सदस्य बनाने के लिये सहयोग करें।

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर है। जमीअत के तीन आर्गन निरंतर प्रकाशित हो रहे हैं।

जरीदा तर्जुमान पाक्षिक (उर्दू) 150 वार्षिक

इस्लाहे समाज मासिक (हिन्दी) 100 वार्षिक

दी सिम्पल ट्रुथ मासिक (अंग्रेज़ी) 100 वार्षिक

खुद भी पढ़ें और दूसरों को खरीदार बनवायें। यह एक मिशन है जिसको कामयाब बनाना हम सब की संयुक्त ज़िम्मेदारी है।

प्रेस रिलीज

फिलिस्तीन का संकट जंग व ख़ूरेज़ी का सामान, अम्न व इन्साफ का अभाव और मानवता का नुक़सान, दुआएं करने और अम्न व शान्ति के साथ रहने की अपील

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द ने समाचार पत्रों के नाम जारी अपने बयान में फ़िलिस्तीन और इस्राईल के बीच जारी जंग और दोनों तरफ से निर्दोष जानों के जाने पर अत्यंत चिंता व्यक्त की है और फौरी तौर पर जंग बन्द करके अम्न व शान्ति वार्ता के माध्यम से समस्या का ठोस समाधान निकालने पर ज़ोर दिया है क्योंकि जंग किसी भी समस्या का समाधान नहीं इस में निर्दोष जानें जाती हैं और मानवता का खून होता है और जान व मकान दोनों की पवित्रता का उल्लंघन होता है।

प्रेस रिलीज़ में अधिकृत कहा गया है कि इस्राईल और फिलिस्तीन के बीच जो मौजूदा स्थिति पेश आई है और भूतपूर्व की खूनचुका घटनाएं, और मानवता का नरसंहार कराना अगर ज़ालिमों को ताक़त का नशा और मजलूमों को मज़लूमियत का एहसास इस जंग और रकतपात पर मजबूर और जंगी उन्माद का शिकार कर रही है और तंग आयद बजंग आयद का प्रमाण बना रही है तो दुनिया के सुपरपावर्स और मानवता के अन्य रखवालों और मानव अधिकार के ठेकेदारों और बच्चों और निर्दोषों के अधिकारों के झण्डावाहकों को क्यों सांप सूंघ गया है क्या ज़ालिम का हाथ पकड़ कर और पीड़ितों का अधिकार दिला कर हर दो के साथ, न्याय, समता, भलाई और मार्गदर्शन नहीं किया जा सकता? क्या शाक्तिशाली और जालिमों का समर्थन और ज़्यादा अत्याचार को बढ़ाने का माध्यम नहीं बन रहा है? और मजलूम के साथ खड़ा होकर मौजूदा अत्यंत बुरे और संकट की अवस्था में जंग को तूल देना भी मजलूमों के हक़ में लाभकारी नहीं है बल्कि अत्यंत तबाही और हौलनाकी को आमंत्रित करना है। इस तरह इस असुगम मामले में दुनिया दो बलाकों में बट जायेगी और मानवता की बड़ी और असीमित तबाही बढ़ती चली जाएगी। इस लिये सबको होश के नाखून लेने की ज़रूरत है और अल्लाह न करे तीसरी विश्व युद्ध की नौबत सब की अपरिणामदर्शिता के नतीजे में आ गई तो इतिहास का सबसे बदतरीन वक़्त मानवता पर आ जाएगा जिसके पापी सब होंगे इसलिये शासकगण जो अत्यंत मानवीय हमदर्दी से और हिम्मत व जुरअत से काम लेकर बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता, संयम का नींव बन कर, समझौते और शान्तिपूर्ण वार्ता के माध्यम से मजलूमों को उनका हक़ दिला सकते हैं और इस असुगम मामले को ख़तम करके इस संवेदनशील क्षेत्र में अम्न व स्थिरता का वातावरण बना सकते हैं, उन्हें अपनी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। स्वयं इन दोनों युद्धरत पक्षों को मानवता की

खातिर और अपनी जनता के जान व माल की हिफाज़त के लिये जंग और मार धाड़ का रास्ता छोड़ कर समझौते का रास्ता अपनाना चाहिए। प्रिय देश के अवाम और आम मुसलमानों का भी फर्ज़ है कि मजलूम भाइयों के हक़ में दुआ करें और क्षेत्र में अम्न व शान्ति के लिये अल्लाह के सामने रोयें, गिड़गिड़ायें और किसी भी उत्तेजना और गैर संजीदा इकदाम से बचें।

प्रेस रिलीज़ में यह भी कहा गया है कि प्रिय देश का हमेशा से फिलिस्तीन के समर्थन का दृष्टिकोण रहा है। महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमेशा फिलिस्तीन कार्य का समर्थन किया आज भी हमें अपने प्राचीन न्यायपूर्ण दृष्टिकोण पर स्थापित रहते हुए विश्वगुरू बनने की भूमिका निभानी चाहिए और विश्व समुदाय को ले कर इसके न्यायपूर्ण और मानवतावादी समाधान के लिये अपनी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। इसी में देश और मानवता की भलाई है। (सधन्यवाद : दैनिक हिन्दुस्तान एकसप्रेस व अन्य दैनिक समाचार पत्र एवं पाक्षिक जरीदा तर्जुमान १६-३१ अक्टूबर २०२३)

❑❑❑

पाठक गण ध्यान दें

1-जल्द से जल्द बकाया राशि भेज दें। 2-अगर आपको हर महीने की 5 तारीख को पत्रिका न मिले तो इसके बारे में कार्यालय को सूचित करें। न मिलने की सूरत में दूसरी कापी भेजी जायेगी, लेकिन शिकायत करने से पहले अपने नजदीकी डाकखाने पर जानकारी हासिल कर लें। 3-नये खरीदारों से अनुरोध है कि अपने पते में फोन नम्बर अथवा मोबाइल नम्बर और पिन कोड भी लिखें। 4-पुराने खरीदारों से अपील की जाती है कि यदि उनका कोई फोन नम्बर या मोबाइल नम्बर हो तो पोस्ट कार्ड पर या फोन के जरिये अपने खरीदारी नम्बर का हवाला देकर अवश्य भेज दें ताकि जरूरत पड़ने पर उनसे सम्पर्क किय जा सके। 5- मनी आर्डर या हमारे प्रतिनिधियों के माध यम से पत्रिका के सदस्य बनने वालों को यह सूचित किया जाता है कि रसीद कटवाने के बाद दूसरे महीने ही में पत्रिका भेजी जायेगी। 6- किसी भी तरह की शिकायत के लिये इस नम्बर पर संपर्क करें। 7. नए और पुराने सदस्यों से अुनरोध है कि नक़द पैसा कोरियर और जनरल डाक से न भेजें। इसलाहे समाज के बारे में किसी भी तरह की शिकायत के लिये 3 बजे से 5 बजे तक फून करें। 011-23273407